हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चतुर्थ सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 32

वीरवार, 13 **दिसम्बर**, 2018/22 **मार्गशीर्ष**,1940 (**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

माननीय अध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करते ही श्री जगत सिंह नेगी , सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही। माननीय अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्नकाल के पश्चात व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए कहा।

1. प्रश्नोत्तर

(i) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 653 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 986 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चूंकि माननीय मंत्री के उत्तर के अुनसार मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए ऐसे प्रश्न पर सदन में चर्चा न की जाए। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें भी यह तथ्य माननीय मंत्री के उत्तर से ही ज्ञात हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर उन्होंने सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी। तारांकित प्रश्न संख्याः 987 से 989, 991, 992 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 990, 993 व 994 के उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 991 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के उपरान्त माननीय मुख्यंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी की बिजली परियोजनाओं की स्थापना में हो रही देरी को लेकर दर्शाई गई चिंता सही है लेकिन हमें हिमाचल में आने वाले बिजली क्षेत्र के उद्धमियों को ट्रेड यूनियन्ज के माध्यम से हड़ताल व नारेबाजी करके हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। श्री राकेश सिंघा ने माननीय मुख्यमंत्री के सुझाव से पूर्णतया सहमति प्रकट करते हुए चाहा कि बिजली परियोजनाओं के संचालन में श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित कानूनों का भी पूरी तरह से पालन हो।

तारांकित प्रश्न संख्याः 995 से 1031 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 225 से 237 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने दिनांक 12.12.2018 को विपक्ष द्वारा नारेबाजी के दौरान कहे गए असंसदीय शब्दों से सदन की गरिमा को पहुंची ठेस संबंधी विषय उठाया। उनके द्वारा विषय उठाते ही दोनों पक्षों की ओर से शोरगुल शुरू हो गया तथा दोनों ओर के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। माननीय अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया। जब माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर भी शोरगुल न थमा तो माननीय अध्यक्ष ने सदन की बैठक 12.30 बजे अपराह्न तक स्थगित कर दी।

12.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक पुनः माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।

कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य पुनः नारेबाजी करने लगे।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत करने पर नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया है कि "विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई एजैंडा ही नहीं है।"

माननीय अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा-

"माननीय मुकेश जी ने कुछ विषय विधान सभा से संबंधित उठाए हैं। मैंने कल भी इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो भी

नोटिस माननीय विधायकों के आते हैं वे सारे black & white रूप में विधान सभा में उपलब्ध हैं। मेरा सर्वाधिक प्रयास यह रहता है कि हर विषय सदन में लगे। नियम-63 के अंतर्गत माननीय मुकेश जी का विषय आया है। यह फाइल आज भी मेरे पास मौजूद है और इसे 14 तारीख के लिए लगाया गया है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की शंका करना निर्मूल है। बार-बार यह कहना कि अध्यक्ष सरकार के दबाव में है, वह निर्मूल है। आपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बात कही। हमने माननीय नेगी जी को व्यवस्था के प्रश्न के लिए मना नहीं किया है। लेकिन जब सदन में बहुत ज्यादा शोरगुल हो गया तो कुछ समय के लिए हमें सदन स्थगित करना पड़ा। आपने प्रश्न के विलोप की बात की और ऐसा भी कहा कि ऐसा रूल में प्रावधान नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता तब तक विधान सभा को मालूम नहीं होता कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है. According to Rule 296(4) 'If a notice is admitted and the Speaker is informed later on that the same matter is under consideration of a Court or it is sub-judice, he may disallow the discussion thereon in the House or reject the Notice'. अगर किसी की मंशा ऐसी होती तो प्रश्न ही न लगता। आपका प्रश्न भी लगा है और उसका उत्तर भी आया है। मैं केवल पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह जो विधान सभा की कार्यवाही है यह पूरी तरह से सभी माननीय विधायकों के विषयों को ध्यान में रख कर चलाई जाती है। नियम-63 के अंतर्गत एक मामला हमारे पास पैंडिंग है। पिछले कल तक हमारे पास नियम-62 का कोई भी नोटिस पैंडिंग नहीं था। कल ही दो नोटिस माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी और माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी के मुझे इसी टेबल पर प्राप्त हुए हैं। अब जो विषय पिछले कल यहां पर आए हैं, उन्हें हम कैसे आज के लिए टेबल कर सकते हैं? विपक्ष ने तो यह भी कह दिया कि उनके विषय ही चर्चा के लिए नहीं लगते। आप एक दिन सदन में थे और पूरा दिन आपके विषयों पर चर्चा हुई है। अब इससे ज्यादा विषय कैसे लगेंगे।"

माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा-

"माननीय अध्यक्ष जी, कल कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो जातिसूचक भी हैं। हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि वह किसी वर्ग को पीड़ा दें। व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर चेयर के खिलाफ़ नारा सबसे पीड़ादायक विषय था।"

माननीय अध्यक्ष ने असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा - "माननीय मुख्यमंत्री ने जब पदभार संभाला था और पहली बार जब इस माननीय सदन को संबोधित किया तो उस वक्त राम राज्य की बात की थी आज क्या कारण है कि 19 नेता आपके दागी हैं जिनके ऊपर विभिन्न क्रिमिनल केसिज़ चले हुए हैं और आप उन केसों को वापिस लेने की बात कर रहे हैं। आप कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं।"

माननीय मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि "ये ज्यादातर मामले वे हैं जहां कहीं पुतला जला दिया तो मामला दर्ज हो गया, कहीं धरना दे दिया तो मामला दर्ज कर दिया, कहीं किसी आंदोलन में हिस्सा लेते-लेते सड़क बंद हो गई; सड़क में जाम लग गया तो मामला दर्ज हो गया और कुछ जगह राजनैतिक कारणों से मंच पर विधायक चला गया, बोलने का अवसर उसको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मामला दर्ज हो गया।"पूर्व में भी बहुत सारे लोगों पर मामले दर्ज थे लेकिन वे सारे मामले विद्ड्रा कर दिए गए थे। जो इस प्रकार के मामले राजनीतिक आधार पर दर्ज हुए हैं उनको वापिस लेने की प्रक्रिया चली है।"

सदन की बैठक 01.05 बजे अपराह्न भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

02.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।

2. <u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

श्रीमती सरवीन चौधरी, **शहरी विकास मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, राज्य नगर योजनाकार, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-(बी)2-4/2010(रूल्ज़) एस.टी.पी. दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.04.2018 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18।

श्री विपिन सिंह परमार, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा(दसवां संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एच0एफ0 डब्ल्यू-बी0(बी)1-1/2016 दिनांक 15.10.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.10.2018 को प्रकाशित हुए, की प्रति सभा पटल पर रखी।

श्री बिक्रम सिंह, **उद्योग मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 51वां वार्षिक विवरण, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

श्री हर्षवर्धन चौहान, **सदस्य**, लोक लेखा समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 32वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 177वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 33वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 178वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 184वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 175वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 183वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2007-08) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति का 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 126वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है।

श्री राम लाल ठाकुर, **सदस्य**, लोक उपक्रम समिति ने समिति का 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

श्री सुरेश कुमार कश्यप, **सभापति**, सामान्य विकास समिति ने समिति का छठा कार्रवाई प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल, **सभापति**, ग्रामीण नियोजन समिति ने समिति का 8वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित समीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. <u>कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन</u>

कर्नल इन्द्र सिंह, **सदस्य** कार्य-सलाहकार समिति ने समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

<u>प्रस्ताव स्वीकार</u>

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>

श्री बलबीर सिंह, **सदस्य** ने दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत अपने निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा की-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में **Co-operative bank** व **Societies** में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु नीति बनाने का विचार करें।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री जीत राम कटवाल
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
3. श्री राकेश जम्वाल
4. श्री लखविन्द सिंह राणा

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

श्री राजिन्द्र गर्ग, **सदस्य** ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि नगर परिषदों के साथ लगते गांवों को नगर एवं ग्राम योजना के नियमों से बाहर करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
2. श्री विनोद कुमार
3. श्री सुख राम
4. श्री सत पाल सिंह रायजादा

माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया -

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री किशोरी लाल
2. श्रीमती कमलेश कुमारी
3. श्री लखविन्द्र सिंह राणा

4. श्री हीरा लाल
5. श्री सुरेश कुमार कश्यप
6. श्री विक्रमादित्य सिंह
7. श्री राजेश ठाकुर
8. श्री रमेश चंद ध्वाला
9. श्री नन्द लाल

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकार
संकल्प पारित हुआ

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"This House may discuss to give insurance cover to farmers of the State for crop cultivation and recommends to the Government to form a policy."

बैठक का निर्धारित समय पूरा हो जाने के कारण माननीय सदन ने इस संकल्प को अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर चर्चा हेतु लेने का निर्णय लिया।

(05.00 **बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक** 14 **दिसम्बर**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।**)